भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4767

उत्तर देने की तारीख 22.07.2019

जनजातीय विकास के लिए योजनाएं

4767. श्री रमेश चन्द्र कौशिकः

श्री अनिल फिरोजियाः

श्री दिलीप साईकियाः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में जनजातीय विकास हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत आवंटित निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार असम सहित विशेषकर मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर-पूर्वी राज्यों में सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कोई विशेष योजना आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(सुश्री रेणुका सिंह सरूता)

(क): वर्तमान में, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित स्कीमों / कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है :-

क्र.सं.	स्कीमों/कार्यक्रमों के नाम
1	अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व-छात्रवृत्ति स्कीम
2	अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम
3	अजजा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति
4	अजजा के विद्यार्थियों की उच्चत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति (क) उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (पहले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा के रूप में जानी जाती थी) (ख) अध्येतावृति (पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति स्कीम के रूप में जानी जाती थी)
5	अजजा के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
6	कम साक्षरता वाले जिलों में अजजा की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण
7	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास
8	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान
9	जनजातीय उप-स्कीम (टीएसएस) को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए)
10	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान
11	जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास तथा विपणन के लिए संस्थागत सहायता
12	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता
13	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास
14	अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय महोत्सव और अन्य

(ख): मंत्रालय की स्कीमों / कार्यक्रमों के अंतर्गत , उपाय मांग आधारित हैं, एवं राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के लिए मंत्रालय में परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के पश्चात निधियां प्रदान की जाती हैं | मंत्रालय द्वारा निधियों का आवंटन राज्य-वार न होकर स्कीम-वार किया जाता है | विगत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्कीमों / कार्यक्रमों के अंतर्गत जनजातीय कल्याण के लिए निधियों के आवंटन के ब्यौरे **अनुलग्नक** में दिये गये हैं |

(ग) तथा (घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास वर्तमान में किसी भी राज्य में कोई विशेष स्कीम को प्रारंभ करने का प्रस्ताव नहीं है |

*****

<u>अनुलग्नक</u>

“जनजातीय विकास के लिए योजनाएं” से संबंधित श्री रमेश चन्द्र कौशिक, श्री अनिल फिरोजिया, श्री दिलीप साईकिया संसद सदस्यों द्वारा दिनांक 22.07.2019 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4767 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

विगत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्कीमों / कार्यक्रमों के अंतर्गत बजट तथा संशोधित अनुमान के स्कीम-वार ब्यौरे

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	स्कीम / कार्यक्रमों के नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
		2016-17		2017-18		2018-19	
1	जनजातीय उप स्कीम को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)	1250.00	1200.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00
2	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान	1400.00	1260.00	1500.01	1500.00	1800.01	1820.00
	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	एनएसटीएफडीसी को सहायता	70.00	60.00	60.00	55.00	65.00	65.00
4	वन बंधु कल्याण योजना	1.00	1.00	0.01	Nil	0.01	शून्य
5	अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	120.00	120.00	120.00	120.00	130.00	120.00
6	जनजातीय बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) का विकास	200.00	340.00	270.00	240.00	260.00	250.00
8	जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता	49.00	49.00	49.00	44.95	54.15	72.50

	(ट्राइफेड)						
9	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता(टीआरआई)	21.00	17.00	80.00	80.00	100.00	100.00
10	लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)	158.00	3.00	100.00	25.00	130.00	97.47
11	जनजातीय विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	50.00	80.00	120.00	100.00	100.00	100.00
12	समुद्रपारीय में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	1.00	0.39	1.00	1.00	2.00	2.00
13	अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	शून्य	शून्य	265.00	318.00	350.00	310.00
14	अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	शून्य	शून्य	1347.07	1436.00	1586.00	1643.03
15	बालक और बालिका छात्रावास	शून्य	शून्य	10.00	7.00	शून्य	शून्य
16	आश्रम विद्यालय	शून्य	शून्य	10.00	7.00	शून्य	शून्य
17	व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (एनजीओ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18	व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (राज्य)	शून्य	शून्य	3.00	शून्य	शून्य	शून्य
19	अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम: जनजातीय शिक्षा	1454.22	1659.84	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20	जनजातीय महोत्सव , अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा	17.39	6.39	12.04	6.35	25.00	25.00
	कुल	**4791.61**	**4796.62**	**5297.13**	**5290.30**	**5952.17**	**5955.00**

*****